प्रारूप– डी

न्यायालय– महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही, जिला बालोद छ.ग. पीठासीन अधिकारी– महेश बाबू साहू
निर्णय दिनांक–18.03.2024 आपराधिक प्रकरण क्र.–765/2022 अपराध क्र०–92/2022, थाना–रनचिरई

परिवादी/अभियोगी	आरक्षी केन्द्र–रनचिरई।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उत्तमलाल गोरे, ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	मनोहर कोसरे पिता स्व किशुन कोसरे, निवासी सकरौद, थाना रनचिरई, जिला बालोद छ.ग.
प्रतिनिधित्व द्वारा अभियुक्त की ओर से	श्री ए.आर. दिल्लीवार, अधिवक्ता।

प्रारूप– इ

अपराध की तारीख	04.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	04.08.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुत दिनांक	10.10.2022
आरोप विरचना की तारीख	03.06.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	02.09.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	–
निर्णय की तारीख	18.03.2024

अभियुक्त का विवरण

आरोपी का रैंक	**आरोपी का नाम**	**गिरफ्तारी का दिनांक**	**जमानत पर मुक्त होने का दिनांक**	**आरोपित अपराध**	**दोषमुक्ति या दोषसिद्धी**	**दी गई सजा**	**धारा**
01	मनोहर कोसरे	04.08.22	04.08.22	धारा–34–1–ख आबकारी अधिनियम।	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

फार्म- एफ

इंडेक्स

1.	निर्णय का शीर्षक	1
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	1

3.	आरोप	2
4.	स्वीकृत तथ्य	2
5.	अभियोजन कहानी	2
6.	आरोपी की प्रतिरक्षा	निरंक
7.	अवधारणीय प्रश्न	3
8.	कारण और निष्कर्ष	4
9.	सजा	निरंक
10.	निरोध की अवधि एवं सेट–आफ	निरंक
11.	संपत्ति का व्ययन	9
12.	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	निरंक
13.	धारा 428 द प्र सं का प्रमाण पत्र	10
14.	सजा में प्रतिबद्धता का वारण्ट (जुर्माना के व्यतिक्रम में सजा)	निरंक
15.	निर्णय	2

निर्णय

(आज दिनांक 18.03.2024 को घोषित)

01– अभियुक्त के विरूद्ध **छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा–34(1)(ख)** के तहत अपराध–विवरण विरचित किया गया है कि, अभियुक्त ने दिनांक–04.08.2022 को समय लगभग 14.00 बजे ग्राम/मुकाम–भाठागांव परसारी थाना रनचिरई, जिला बालोद छ.ग. अंतर्गत पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से **18 पाव व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब (जुमला 3.600 बल्क लीटर)** को बिना किसी अनुज्ञप्ति के बिक्री करने हेतु रखा ।

02– प्रकरण में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

03– अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2022 को **थाना रनचिरई से प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश** द्वारा हमराह

के साथ ग्राम भ्रमण, जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुये थे, इसी दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी के कब्जे से **18 पाव व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब** विक्रय करने हेतु रखा था, जिसे जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्व अपराध सबूत पाए जाने पर अंतर्गत **धारा–34(1)(ख) छ0ग0 आबकारी अधिनियम** का अपराध पंजीबद्व किया गया । प्रकरण में शराब को जप्त किया गया, जप्तशुदा शराब को परीक्षण कराया गया एवं नजरी–नक्शा तैयार किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अपराध जमानतीय होने से मुचलका पर रिहा किया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग–पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

04– अभियुक्त को **छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा–34(1)(ख)** के अंतर्गत विरचित अपराध–विवरण पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध किये जाने से इंकार किया। **धारा–313 दं0प्र0सं0** के तहत परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष होना, एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

05– प्रकरण में निराकरण के लिये मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि:–

''क्या अभियुक्त, दिनांक–04.08.2022 को समय लगभग 14.00 बजे ग्राम/मुकाम–भाठागांव परसारी थाना रनचिरई, जिला बालोद छ.ग. अंतर्गत पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से **18 पाव व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब (जुमला 3.600 बल्क लीटर)** को बिना किसी अनुज्ञप्ति के बिक्री करने हेतु रखा? ''

<u>निष्कर्ष व निष्कर्ष के आधार</u>

06– **विवेचक साक्षी अ.सा.–03 ओमप्रकाश ध्रुर्वे** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 04.08.2022 को हमराह स्टाफ के साथ जुर्मजरायम पताशाजी हेतु देहात रवाना हुये थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर, सूचना तश्दीक हेतु गवाह राकेश कुमार व लक्ष्मेंद्र देशमुख को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा–160 प्रपी–01 अनुसार नोटिस दिया था । उसने गवाह उपस्थित होने पर मुखबिर पंचनामा तैयार प्रपी–02 अनुसार तैयार किया था । उसने, हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ मौके पर जाकर रेड कार्यवाही कर घेरांबंदी किया तो एक व्यक्ति को पकड़े जिसका नाम एवं पता पूछने पर अपना नाम मनोहर कोसरे ग्राम सकरौद का रहने वाला बताया, जिसे मूखबिर सूचना से अवगत कराकर मौके पर पुलिस स्टॉफ एवं गवाहों की तलाशी आरोपी से करायी गई थी। पुलिस स्टॉफ एवं वाहन की तलाशी पंचनामा प्रपी–04 एवं गवाहों की तलाशी पंचनामा प्रपी 03 अनुसार तैयार किया था । उसने, आरोपी की तलाशी गवाहों के समक्ष लिया था, तलाशी पंचनामा प्रपी–10 है । तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 18 पाव देशी प्लेन शराब व 01 बद्धी देशी प्लेन शराब बरामद हुआ था, बरामदगी पंचनामा प्रपी 07 है । उसने, आरोपी को अपने कब्जे में रखकर बिक्री करने के संबंध में धारा–91 का नोटिस प्रपी–11 अनुसार दिया था। आरोपी के द्वारा कोई भी वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपी के कब्जे से बरामद 18 पाव देशी प्लेन शराब व 01 बद्धी देशी प्लेन शराब को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–06 अनुसार तैयार

किया था । उसने, मौके पर गवाहों की उपस्थिति में जप्तशूदा शराब को सीलबंद किया था, सील पंचनामा प्रपी 07 है । उसने, आरोपी को विधिवत गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रपी 09 तैयार किया था । उसने, गवाहों के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किया था तथा मौके पर गवाहों के समक्ष नजरी नक्शा प्रपी–09 अनुसार तैयार किया था । उसने, मौके पर आरोपी के विरूद्ध अपराध देहाती नालशी 0/22 में दर्ज किया था जो प्रपी 12 है । उसने, थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र० 92/2022 धारा 34–1–ख, आबकारी अधिनियम का अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज प्रपी–13 अनुसार तैयार किया था । उसने प्रकरण में जप्तशुदा शराब को थाना के मालखाना में गवाहों के समक्ष जमा कराया था, जमा पंचनामा प्रदर्शपी–13 व 14 है । उसने, प्रकरण में जप्तशूदा शराब को आबकारी उपनिरीक्षक कार्यालय गुण्डरदेही जांच हेतु भेजने के लिए प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदन प्रपी–15 अनुसार भेजा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सभी महत्वपूर्ण विरोधी सुझावों को अस्वीकार किया है ।

07– **अ.सा.–01 राकेश देवांगन** का मुख्य परीक्षण में कथन है कि वह आरोपी को पुलिसवालों के बताये जाने पर पहली बार घटना के समय देखा था । लगभग 01 वर्ष पूर्व वह खेत में निदाई का काम कर रहा था तभी पुलिसवाले आरोपी को पकड़कर लाये थे और बताये कि आरोपी के पास शराब 18–19 पाव देशी प्लेन शराब पकड़े थे तब उसने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था

। धारा 160 जा फौ का नोटिस प्रदर्शपी–01, मुखबीर पंचनामा प्रदर्शपी–02, आरोपी की सहमति पंचनामा प्रदर्शपी–03, पुलिस फोर्स, वाहन एवं गवाहों की तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी–04, बरामदगी पंचनामा प्रदर्शपी–05, जप्ती पत्रक प्रदर्शपी–06, सील पंचनामा प्रदर्शपी–07, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शपी–08, नजरी नक्शा प्रदर्शपी–09 पर उसका हस्ताक्षर है । उसने पुलिस को बचान नहीं दिया था । अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सूझाव को स्वीकार किया है कि पुलिसवाले परसाही रोड पर आरोपी मनोहर कोसरे के कब्जे से 18 पौवा व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब को जप्त किये थे । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने अपनी आंखों से पुलिसवालों को आरोपी के कब्जे से शराब जप्त करते हुये नहीं देखा है तथा उसने शराब को आरोपी के हाथ में रखा हुआ नहीं देखा है तथा उसे पुलिसवाले बताये थे कि 18–19 पौवा शराब बरामद हुआ है, उसी के आधार पर उसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है तथा जिन दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर किया था, वे कोरे थे, उस पर कुछ नहीं लिखा था ।

08– **अ.सा.–02 लक्ष्मेन्द्र** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है, जो उसके गांव का है । लगभग 4–5 माह पूर्व वह अपने काम से थाना रनचिरई गया था तब पुलिसवाले उसे कुछ दस्तावेजों पर अपना हस्ताक्षर किया था, धारा 160 जा फौ का नोटिस प्रदर्शपी–01, मुखबीर पंचनामा प्रदर्शपी–02, आरोपी की सहमति पंचनामा प्रदर्शपी–03, पुलिस

फोर्स, वाहन एवं गवाहों की तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी–04, बरामदगी पंचनामा प्रदर्शपी–05, जप्ती पत्रक प्रदर्शपी–06, सील पंचनामा प्रदर्शपी–07, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शपी–08, नजरी नक्शा प्रदर्शपी–09 तथा आरोपी की तलाशी पंचनामा प्रदर्शपी–10 है । उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था । अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपी से शराब की जप्ती होने व गिरफ्तारी कार्यवाही से इंकार किया है । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने अपनी आंखों से पुलिसवालों को आरोपी के कब्जे से शराब जप्त करते हुये नहीं देखा है तथा उसने शराब को आरोपी के हाथ में रखा हुआ नहीं देखा है तथा जिन दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर किया था, वे कोरे थे, उस पर कुछ नहीं लिखा था ।

09– इस प्रकार साक्ष्य विश्लेषण में दर्शित है कि प्रकरण के प्रार्थी/विवेचना अधिकारी ओमप्रकाश ध्रुर्वे ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में आरोपी के कब्जे से घटना दिनांक को 18 पाव व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब आरोपी से गवाहों के समक्ष जप्त करने का कथन किया है । जप्ती कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी लक्ष्मेन्द्र ने जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है मात्र दस्तावेजों पर अपना हस्ताक्षर होने का कथन किया है यद्यपि जप्ती कार्यवाही के दूसरे स्वतंत्र साक्षी राकेश देवांगन ने अपने न्यायलयीन परीक्षण में अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर स्वीकार किया कि पुलिसवाले आरोपी मनोहर कोसरे के कब्जे से 18 पौवा व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब जप्त किये थे किंतु

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के विरोधी सुझावों को स्वीकार किया कि उसने अपनी आंखों से पुलिसवालों को आरोपी के कब्जे से शराब जप्त करते हुये नहीं देखा है तथा उसने शराब को आरोपी के हाथ में रखा हुआ नहीं देखा है तथा उसे पुलिसवाले बताये थे कि 18–19 पौवा शराब बरामद हुआ है, उसी के आधार पर उसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है तथा जिन दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर किया था, वे कोरे थे, उस पर कुछ नहीं लिखा था । इस प्रकार साक्षी राकेश देवांगन के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाष होने से उक्त् साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । इस प्रकार जप्ती कार्यवाही के संबंध में अभियोजन कहानी व विवेचना अधिकारी के कथनों को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है । मात्र विवेचना अधिकारी के साक्ष्य पर दोषसिद्धी नहीं पारित की जा सकती जब तक कि प्रकरण में अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रकट न हो । उपरोक्तानुसार अभियोजन पक्ष अपने द्वारा पेश साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे, यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर आरोपी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के बिना **18 पाव व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब (जुमला 3.600 बल्क लीटर)** को विक्रय करने हेतु रखा पाया। अतः **आरोपी मनोहर कोसरे** को **छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34–1–ख** के अपराध से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है ।

10– अभियुक्त के पूर्व के जमानत/मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। **दं.प्र.सं. की धारा–437(क)** के अंतर्गत प्रस्तुत बंधपत्र निर्णय उपरांत 06 माह तक प्रवृत्त रहेगा ।

11– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति **18 पाव व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब (जुमला 3.600 बल्क लीटर)** को मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात, अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावेगा ।

12– **धारा–428 दं0प्र0सं0** के अंतर्गत जांच विचारण दौरान अभियुक्तगण की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं एवं दिनांकित कर घोषित

MAHESH BABU SAHU Digitally signed by MAHESH BABU SAHU Date: 2024.03.21 11:55:07 +0530

महेश बाबू साहू
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही, जिला बालोद छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित

MAHESH BABU SAHU Digitally signed by MAHESH BABU SAHU Date: 2024.03.21 11:55:13 +0530

महेश बाबू साहू
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही, जिला बालोद छ.ग.

<u>**प्रमाण– पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं.**</u>

क्र	अभियुक्त का नाम	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	पुलिस अभिरक्षा की अवधि
01.	मनोहर कोसरे पिता स्व किशुन कोसरे, निवासी सकरौद, थाना रनचिरई, जिला बालोद छ.ग.	निरंक	निरंक

MAHESH BABU SAHU Digitally signed by MAHESH BABU SAHU Date: 2024.03.21 11:54:57 +0530

स्थान– गुण्डरदेही
दिनांक–18.03.2024

महेश बाबू साहू
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गुण्डरदेही, जिला बालोद छ.ग.